नन्द किशोर बनाम फूलचन्द वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	हाल प्र.सं. - 135/2022
14-8-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 10-10-2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
10.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1896/भू.अ./2024 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वही वकील तरतीबी प्रतिवादीगण ने भी उक्त प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 18.11.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
18.11.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर न्यायहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नन्द किशोर बनाम प्रहलाद वगै

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा मु.नं. - 135/2022

में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।\

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
135 / 2022	2022 / 354	04.11.2022	18.11.2024 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. नन्दकिशोर उम्र 58 साल
2. हरलालसिंह उम्र 50 साल

पुत्रगण भूराराम

जाति जाट निवासी ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——वादीगण——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनाम्

1. प्रहलाद पुत्र स्व0 अर्जुन उम्र 60 साल
2. बोदू पुत्र स्व0 अर्जुन उम्र 63 साल
3. विनोद पुत्र स्व0 भूराराम पौत्र स्व0 अर्जुन
4. सुरेश पुत्र स्व0 भूराराम पौत्र स्व0 अर्जुन उम्र 30 साल
5. सन्तरा पत्नी स्व0 भूरा पुत्रवधू स्व0 अर्जुन उम्र 60 साल
6. सीताराम उम्र 62 साल
7. हजारीलाल उम्र 57 साल
8. गोकुल उम्र 50 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पुत्रगण स्व0 गणपतराम

9. रवि उम्र 27 साल

10. दिनेश उम्र 24 साल

पुत्रगण स्व0 मनोज पौत्र स्व0 गणपतराम

11. जितेन्द्र पुत्र स्व0 मोहन पौत्र स्व0 गणपतराम उम्र 32 साल

12. कर्मा पत्नि स्व0 अनिल पौत्र वधू स्व0 मोहन पौत्रवधू गणपतराम उम्र 35 साल

13. हंसराज उम्र 25 साल

14. देशराज उम्र 20 साल

पुत्रगण स्व0 गोपाल पौत्र स्व0 दानाराम

15. कृष्णा पत्नि स्व0 गोपाल पुत्रवधु स्व0 दानाराम उम्र 55 साल

16. मुकेश कुमार उम्र 45 साल

17. रामलाल उम्र 40 साल

पुत्रगण स्व0 धूडाराम जाति मीणा निवासीगण ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

18. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

19. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

20. आची देवी पुत्री भूराराम उम्र 47 साल

21. कमली देवी पुत्री भूराराम उम्र [illegible] साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

22. चन्द्रा देवी पुत्री भूराराम उम्र 44 साल

23. भागली देवी पुत्री भूराराम उम्र 53 साल

24. मन्जू देवी पुत्री भूराराम उम्र 38 साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्प्रम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थितः—

श्री हीरा सिंह धायल, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री नन्दकिशोर यादव/राजकुमार सैनी, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 20 से 24 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से।

दावा बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 529, 530, 531, 532, 548, 549, 550, 551, 552, 560 कुल किता—10 कुल रकबा 10.3000 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें जमाबंदी अनुसार 1/2 हिस्सा के [illegible] खातेदार काश्तकार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 20 [illegible] की खातेदारी जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के पिता–दादा–ससुर मृतक अर्जुन पुत्र कालूराम एव प्रतिवादी संख्या–6 ता 12 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक गणपतराम पुत्र कालूराम एव प्रतिवादी संख्या–13 ता 15 के दादा–ससुर मृतक दानाराम पुत्र कालूराम एवं प्रतिवादी संख्या–16 व 17 के पिता मृतक धूडाराम पुत्र कालूराम के नाम दर्ज है। उक्त भूमियों वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। जिसका मौके पर कदीम से बाहमी बंटवारा होकर पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार आयी हुयी भूमियों पर अलग–अलग सींव डोल कायम कर काबिज काश्त चले आ रहे है एंव पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद होकर रिहायश करते चले आ रहे है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या–20 ता 24 अपनी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों पर मोके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं अलग से कदीमी सींव डोल कायम की हुयी है परन्तु भूमियों की मौके कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार खातेदारी अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हक तलफी है एवं वादीगण अपनी भूमियों का समुचित विकास नही कर पा रहे है एवं राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं अनुदान आदि में सुयुक्त खातेदारी होने से परेशानी उत्पन्न होती हैं। इसलिए वादीगण भूमियों का मौके के कब्जा काश्त व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाकर अलग से खातेदारी राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाने व अलग से लगान कायम एवं भूमियों में आवागमन के शामलाती रास्ता को अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादीगण की हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों में किसी प्रकार की मजाहमत करने को काई अधिकार किसी किश्म का नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 529, 530, 531, 532, 548, 549, 550, 551, 552, 560 कुल किता–10 कुल रकबा 10.3000 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible] वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 17 के मध्य मौके के कदीमी [illegible] काश्त एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाया [illegible] तरतीबी प्रतिवादिया संख्या–20 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

24 को उनकी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा 1/2 का अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे एवं भूमियों में आवागमन के शामलाती रास्ता को राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 17 को उनकी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा 1/2 का अलग से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार पक्षकारान के नाम अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। तरतीबी प्रतिवादीयागण संख्या 20 से 24 की ओर से श्री नन्द किशोर यादव/राजकुमार सैनी एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 19 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने पक्षकारान् के मध्य विधिक विभाजन किये जाने बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करने पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमती व्यक्त कर दिये जाने से वकुलाय उभय पक्षकरान् की सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी जाकर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.07.2023 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.07.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प-51 / 2008 / विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 से वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 4586 / रीडर / 2023 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों मे तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1896 / भू.अ. / 2024 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस पर सहमति व्यक्त करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वही वकील तरतीबी प्रतिवादीगण ने भी उक्त प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने एंव प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों पर वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा सहमति व्यक्त कर दिये जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादपत्र में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार पत्रांक क्रमांक/भू.अ./24/1896 दिनांक 27.08.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट को डिक्री का आवश्यक भाग बनाया जाता है। बैंक ऋण/रहन पूर्वानुसार संबधित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)